

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर राजस्व वाद संख्या 133/2012

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

श्री नाबुल्लुन पुत्र श्री गेनाराम जाति
नीत निवासी होटलू तहसील
पंचपदरा

1. श्री पेमाराम पुत्र श्री गेनाराम भील
के कायम मुकाम—
1/1— श्री डलाराम पुत्र पेमाराम भील
1/2— श्रीमती इमू बेवा पेमाराम भील
2. फूसाराम पुत्र गेनाराम भील के कायम
मुकाम—
2/1— बुदाराम पुत्र फूसाराम भील
2/2— चम्पा पत्नि फूसाराम भील
निवासीयान होटलू तहसील पंचपदरा
2/3— धन्नाराम पुत्र फूसाराम भील
साकिन हाल सनदड़ी रोड़ बालोतरा
2/4— पांवाराम पुत्र फूसाराम भील
साकिन होटलू
2/5— जैसाराम पुत्र फूसाराम भील
के कायम मुकाम—
2/5/1— मांगाराम पुत्र जैसाराम
भील साकिन हाल बालोतरा
2/5/2— अशोक पुत्र जैसाराम भील
साकिन हाल बालोतरा
2/5/3— किशोर पुत्र जैसाराम भील
साकिन हाल बालोतरा
2/5/4— विदामी बेवा जैसाराम
भील साकिन हाल बालोतरा
नोट:- प्रतिवादी नंबर 2/5/1,
2/5/2, 2/5/3 नाबालिग जरिये
कुदरती दलीया माता विदामी बेवा
जैसाराम भील साकिन होटलू तहसील
पंचपदरा
3. मोमता पुत्र गेनाराम भील साकिन
होटलू
4. चौथाराम पुत्र गेनाराम भील साकिन
हाल रेलवे जीरो फाटक के पास भील
बस्ती बालोतरा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,
पंचपदरा



दावा बाबत अधिकारों की घोषणा व बंटवाड़ा

उपस्थित : 1. श्री चेलाराम वादी वकील

2. श्री ओमप्रकाश डाबी प्रतिवादी वकील

आदेश

दिनांक : 31.10.2017

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 53 के तहत पेश किया। वाद पत्र के मुख्य तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि श्री गेनाराम पुत्र लक्ष्मणजी वादी व प्रतिवादीगण के पिता व दादा थे। गेनाराम जी के निम्न खसरा की भूमि खातेदारी व कब्जा काश्त की मौजा होटलू में आई हुई है।

<u>खसरा नंबर</u>	<u>रकबा</u>] खेत ढाणी वाला
111	39.13 बीघा	
214	00.08 विस्वा	
112	01.17 बीघा	
120	06.00 बीघा	
	47.13 बीघा	

<u>खसरा नंबर</u>	<u>रकबा</u>] खेत धोरा वाला
70	28.18 बीघा	
71	09.12 विस्वा	
72	06.18 बीघा	
	45.08 बीघा	

उपरोक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है, जिसमें गेनाराम की ढाणी खसरा नंबर 120 में, मोमता की ढाणी खसरा नंबर 214 में, वादी (नाथूराम) की ढाणी खसरा नंबर 120 की भूमि चौथाराम के नाम की नियमन हुई थी, परन्तु यह खेत मोमता, वादी व पेमा के बंट में दे दिया गया। गेनाराम सन् 1976 में फौत हो गये उनकी ढाणी खसरा नंबर 214 पर वादी का कब्जा है। वादी ने 24 बीघा 2 विस्वा भूमि बनती है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा के जरिये खसरा नंबर 111 व खसरा नंबर 214 में मिलनी जरूरी है जो वादी की 24 बीघा 2 विस्वा घोषित की जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 से 2/5/4 की तरफ से जवाब दिनांक 22.01.2014 को पेश कर वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया। काउन्टर क्लेम पेश कर वादी ने जवाब का जवाबुल जवाब काउन्टर क्लेम दिनांक 18.3.2015 को पेश कर काउन्टर क्लेम गलत होने से अस्वीकार किया। पक्षकारान ने अपने राजीनामा पेश किये।

इस वाद पत्र में वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से तिभाजन एम्नात



बकुलाय को सुना गया । उक्त प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया ।

अतः सहमति पत्र व संलग्न नक्शे में दर्शाई गई भूमि के अनुसार दोनों पक्षों के मध्य विभाजन निम्न प्रकार से स्वीकृत किया जाता है । आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का पार्ट रहेगा ।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	संलग्न नक्शे में बजरंग दर्शाया
1	दलाराम पुत्र पेमाराम, नु0 झमू बेवा पेमाराम भील साकिन हौटलू	70	3.05	बा.दो.	1.00	पीला
		71	3.15	बा.दो.	1.15	
		72	2.09	बा.दो.	0.77	
		3	9.09	बा.दो.	2.92	

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	संलग्न नक्शे में बजरंग दर्शाया
2	बुधाराम, धन्नाराम, पांचाराम पि0 फूसाराम, मांगीलाल, अशोक, किशोर पि0 जैसाराम, विदामी बेवा जैसाराम भील सा0 देह नाबालिग कुदरती वली विदामी बेवा जैसाराम भील	70	17.09	बा.दो.	5.40	लाल
		70	17.09	बा.दो.	5.40	

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	संलग्न नक्शे में बजरंग दर्शाया
3	नाथूराम पुत्र गेनाराम भील साकिन देह	112	1.14	बा.दो.	0.52	हरा
		111	23.07	चा.वा.	—	
		214	3.08	—	0.12	
		3	25.09	—	0.64	

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	संलग्न नक्शे में बजरंग दर्शाया
4	मोमताराम पुत्र गेनाराम भील साकिन देह	111	9.09	चा.चा.	—	बैंगनी
		71	1.07	बा.दो.	0.33	
		72	0.19	बा.दो.	0.30	
		70	5.15	बा.दो.	1.60	



अतः सहमति पत्र व संलग्न नक्शे मे दर्शाई गई भूमि के अनुसार दोनों पक्षों के मध्य विभाजन निम्न प्रकार से स्वीकृत किया जाता है । आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का पार्ट रहेगा ।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	संलग्न नक्शे मे बजरंग दर्शाया
1	दल राम पुत्र पेगाराम, मु0	70	3.05	बा.दो.	1.00	पीला
	इमू बेवा पैमाराम भील	71	3.15	बा.दो.	1.15	
	साकिन होटलू	72	2.09	बा.दो.	0.77	
		3	9.09	बा.दो.	2.92	

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	संलग्न नक्शे मे बजरंग दर्शाया
2	बुधाराम, धन्नाराम, पांचाराम पि0 फूसाराम, मांगीलाल, अशोक, किशोर पि0 जैसाराम, विदामी बेवा जैसाराम भील स0 देह नाबालिग कुदरती वली विदामी बेवा जैसाराम भील	70	17.09	बा.दो.	5.40	लाल
		70	17.09	बा.दो.	5.40	

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	संलग्न नक्शे मे बजरंग दर्शाया
3	नथूराम पुत्र गेनाराम भील साकिन देह	112	1.14	बा.दो.	0.52	हरा
		111	23.07	चा.चा.	—	
		214	0.08	—	0.12	
		3	25.09	—	0.64	

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	संलग्न नक्शे मे बजरंग दर्शाया
4	नोमताराम पुत्र गेनाराम भील साकिन देह	111	9.09	चा.चा.	—	बैंगनी
		71	1.07	बा.दो.	0.33	
		72	0.19	बा.दो.	0.30	
		70	5.15	बा.दो.	1.60	
		4	17.10	—	2.23	



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	संलग्न नक्शे में बजरंग दर्शाया
5	चौथाराम पुत्र गेनाराम भील साकिन देह	111	6.17	चा.चा.	—	बंदनी
		112	0.03	बा.दो.	0.05	लेसाविसा
		70	2.09	बा.दो.	0.96	
		71	4.11	बा.दो.	1.50	
		72	3.09	बा.दो.	1.07	
5		17.09	—	3.58		

उपरोक्तानुसार खातेदार घोषित किया जाता है । तहसीलदार,पचपदरा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें । डिक्री पर्चा जारी हो ।

(भागीरथ राव)

सहायक कलेक्टर,
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को लिखाया जाकर,खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर,
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा



उपस्थित : 1. श्री चेलाराम वादी वकील

2. श्री ओमप्रकाश डाबी प्रतिवादी वकील

आदेश

दिनांक : 31.10.2017

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 53 के तहत पेश किया । वाद पत्र के मुख्य तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि श्री गेनाराम पुत्र लक्ष्मणजी वादी व प्रतिवादीगण के पिता व दादा थे । गेनाराम जी के निम्न खसरान की भूमि खातेदारी व कब्जा काश्त की मौजा होटलू में आई हुई है ।

<u>खसरा नंबर</u>	<u>रकबा</u>] खेत ढाणी वाला
111	39.13 बीघा	
214	00.08 विस्वा	
112	01.17 बीघा	
120	06.00 बीघा	
	<u>47.13 बीघा</u>	

<u>खसरा नंबर</u>	<u>रकबा</u>] खेत धोरा वाला
70	28.18 बीघा	
71	09.12 विस्वा	
72	06.18 बीघा	
	<u>45.08 बीघा</u>	

उपरोक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है, जिसमें गेनाराम की ढाणी खसरा नंबर 120 में, मोमता की ढाणी खसरा नंबर 214 में, वादी (नाथूराम) की ढाणी खसरा नंबर 120 की भूमि चौथाराम के नाम की नियमन हुई थी, परन्तु यह खेत मोमता, वादी व पेमा के बंट में दे दिया गया । गेनाराम सन् 1976 में फौत हो गये उनकी ढाणी खसरा नंबर 214 पर वादी का कब्जा है । वादी ने 24 बीघा 2 विस्वा भूमि बनती है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा के जरिये खसरा नंबर 111 व खसरा नंबर 214 में मिलनी जरूरी है जो वादी की 24 बीघा 2 विस्वा घोषित की जावे ।

प्रतिवादी संख्या 1 से 2/5/4 की तरफ से जवाब दिनांक 22.01.2014 को पेश कर वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया । काउन्टर क्लेम पेश कर वादी ने जवाब का जवाबुल जवाब काउन्टर क्लेम दिनांक 18.3.2015 को पेश कर काउन्टर क्लेम गलत होने से अस्वीकार किया । पक्षकारान ने अपने राजीनामा पेश किये ।

इस वाद पत्र में वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव पेश किया जिसे पटवारी हल्का, भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच कर उक्त विभाजन पत्र को स्वीकृत किये जाने की सिफारिश की है । इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के



राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दावा बाबत अधिकारों की घोषणा व बंटवाड़ा

उपस्थित : 1. श्री चेलाराम वादी वकील

2. श्री ओमप्रकाश डाबी प्रतिवादी वकील

आदेश

दिनांक : 31.10.2017

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 53 के तहत पेश किया। वाद पत्र के मुख्य तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि श्री गेनाराम पुत्र लक्ष्मणजी वादी व प्रतिवादीगण के पिता व दादा थे। गेनाराम जी के निम्न खसरा की भूमि खातेदारी व कब्जा काश्त की मौजा होटलू में आई हुई है।

<u>खसरा नंबर</u>	<u>रकबा</u>] खेत ढाणी वाला
111	39.13 बीघा	
214	00.08 विस्वा	
112	01.17 बीघा	
120	06.00 बीघा	
	47.13 बीघा	

<u>खसरा नंबर</u>	<u>रकबा</u>] खेत धोरा वाला
70	28.18 बीघा	
71	09.12 विस्वा	
72	06.18 बीघा	
	45.08 बीघा	

उपरोक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है, जिसमें गेनाराम की ढाणी खसरा नंबर 120 में, मोमता की ढाणी खसरा नंबर 214 में, वादी (नाथूराम) की ढाणी खसरा नंबर 120 की भूमि चौथाराम के नाम की नियमन हुई थी, परन्तु यह खेत मोमता, वादी व पेमा के बंट में दे दिया गया। गेनाराम सन् 1976 में फौत हो गये उनकी ढाणी खसरा नंबर 214 पर वादी का कब्जा है। वादी ने 24 बीघा 2 विस्वा भूमि बनती है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा के जरिये खसरा नंबर 111 व खसरा नंबर 214 में मिलनी जरूरी है जो वादी की 24 बीघा 2 विस्वा घोषित की जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 से 2/5/4 की तरफ से जवाब दिनांक 22.01.2014 को पेश कर वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया। काउन्टर क्लेम पेश कर वादी ने जवाब का जवाबुल जवाब काउन्टर क्लेम दिनांक 18.3.2015 को पेश कर काउन्टर क्लेम गलत होने से अस्वीकार किया। पक्षकारान ने अपने राजीनामा पेश किये।

इस वाद पत्र में वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से तिभाजन एग्जान



न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर राजस्व वाद संख्या 133/2012

<u>वादी</u>	<u>बनाम</u>	<u>प्रतिवादीगण</u>
श्री नाथुराम पुत्र श्री गेनाराम जाति भील निवासी होटलू तहसील पचपदरा	1.	श्री पेमाराम पुत्र श्री गेनाराम भील के कायम मुकाम- 1/1- श्री डलाराम पुत्र पेमाराम भील 1/2- श्रीमती अमू बेवा पेमाराम भील
	2.	फूसाराम पुत्र गेनाराम भील के कायम मुकाम- 2/1- बुदाराम पुत्र फूसाराम भील 2/2- चम्पा पत्नि फूसाराम भील निवासीयान होटलू तहसील पचपदरा 2/3- धन्नाराम पुत्र फूसाराम भील साकिन हाल समदड़ी रोड़ बालोतरा 2/4- पांचाराम पुत्र फूसाराम भील साकिन होटलू 2/5- जैसाराम पुत्र फूसाराम भील के कायम मुकाम- 2/5/1- मांगाराम पुत्र जैसाराम भील साकिन हाल बालोतरा 2/5/2- अशोक पुत्र जैसाराम भील साकिन हाल बालोतरा 2/5/3- किशोर पुत्र जैसाराम भील साकिन हाल बालोतरा 2/5/4- विदामी बेवा जैसाराम भील साकिन हाल बालोतरा
		नोट:- प्रतिवादी नंबर 2/5/1, 2/5/2, 2/5/3 नाबालिग जरिये कुदरती यलीया माता विदामी बेवा जैसाराम भील साकिन होटलू तहसील पचपदरा
	3.	मोमता पुत्र गेनाराम भील साकिन होटलू
	4.	चौधाराम पुत्र गेनाराम भील साकिन हाल रेलवे जीरो फाटक के पास भील बस्ती बालोतरा
	5.	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,

